प्रारूप–ग

(नियम 3 (2) देखिंये।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) केल्हारी,

जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0)

//अनुज्ञा//

रा.प्र.क.– 202505330300001/अ–62/2024–25

आदेश दिनांक 01/05/2025

केल्हारी, दिनांक 01/05/2025

कमांक/ 930 /वाचक/2025

प्रति,

भारत पिता रामगरीब
निवासी ग्राम घाघरा तहसील केल्हारी
जिला–एम.सी.बी. (छ0ग0)

विषयः– भूमि स्वामी के भूमि में प्राकृतिक/रोपित वृक्षों की कटाई हेतु अनुज्ञा।

–––00–––

आपके द्वारा वृक्ष कटाई नियम 2022 के तहत ग्राम घाघरा के पटवारी हल्का नंबर 01 में स्थित भूमि खसरा नंबर 315 रकबा 0.4900 हे. 01 आम, का वृक्ष को काटे जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

राजस्व निरीक्षक केल्हारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी (वन) केल्हारी से जांच प्रतिवेदन सह पंचनामा प प्रजातिवार वृक्ष की सहित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए **ग्राम घाघरा स्थित पटवारी हल्का नंबर 1 खसरा नंबर 315 रकब 0.4900 हे. 01 आम वृक्ष काटे** जाने पर संहिता की किन्ही उपबंधों का उल्लघंन नही हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

अतः छत्तीसगढ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुई, भूमिस्वामी अपने भूमि में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई, राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधा पर करवा सकेगा। छत्तीसगढ़ आदिम जाति जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम 2022, अधिसूचना 24.11.2022 के प्रावधानों के तहत वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपों तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकडी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 95 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 05 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 5 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यनतम 5 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगें एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी रा0 केल्हारी के माध्यम से कलेक्टर को दी जाएगी। उपरोक्त नियम व शर्तो का पालन नही किये जाने पर यह अनुमति शून्य होंगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कलैण्डर वर्ष तक मान्य होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
केल्हारी, जिला–एम.सी.बी. (छ0ग0)

पृ0/कमांक/ 931 /वाचक/2025

केल्हारी, दिनांक 01/05/2025

1. कलेक्टर महोदय जिला–मनेन्द्रगढ–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वन मंडलाधिकारी मनेन्द्रगढ़/बिहारपुर/केल्हारी को ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त नियम शर्तो का पालन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. तहसीलदार केल्हारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। वृक्षों की कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख में अद्यतन करने हेतु प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
केल्हारी, जिला–एम.सी.बी. (छ0ग0)